भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 4609

दिनांक 20.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

ई-माइग्रेट पोर्टल 2.0

4609. श्री तेजस्वी सूर्या
श्री योगेन्द्र चांदोलिया
श्री सुधीर गुप्ता
श्री दामोदर अग्रवाल
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया
श्री अनुराग शर्मा
श्री प्रवीण पटेल
श्री हँसमुखभाई सोमाभाई पटेल
श्री हेमांग जोशी
श्रीमती डी.के. अरूणा
श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि
श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव
श्री गोपाल जी ठाकुर
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह
श्री मितेश पटेल बकाभाई
श्री माधवनेनी रघुनंदन राव
श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत
श्री मनोज तिवारी
डॉ. निशिकान्त दुबे
डॉ. संजय जायसवाल

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जमीनी स्तर पर उत्प्रवासी सेवाओं की पहुँच का विस्तार करने के लिए ई-माइग्रेट पोर्टल को सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के साथ एकीकृत किए जाने का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त पोर्टल के अंतर्गत प्रवासी श्रमिकों के लिए शिकायत निवारण, बहुभाषी पहुंच और 24X7 हेल्पलाइन सहायता हेतु क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(ग) सुरक्षित और कागज रहित प्रसंस्करण को सक्षम बनाने के लिए डिजी लॉकर और डिजिटल भुगतान प्रणालियों के साथ एकीकरण की स्थिति क्या है;

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान ई-माइग्रेट पोर्टल पर पंजीकृत कामगारों की वर्ष-वार कुल संख्या कितनी है; और

(ड.) इस पोर्टल के माध्यम से विदेशों में भारतीय कामगारों के शोषण को रोकने और उनका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए मौजूद निगरानी तंत्र का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क से ङ) ई-माइग्रेट पोर्टल, जो किसी भी अधिसूचित ईसीआर देशों में रोजगार की तलाश करने वाले उत्प्रवास जाँच अपेक्षित (ईसीआर) पासपोर्ट धारक भारतीय नागरिकों के उत्प्रवास प्रक्रिया की सुविधा प्रदान करता है, यह उत्प्रवास प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल, पारदर्शी, सुरक्षित और मानवीय बनाता है। यह विदेशी नियोक्ताओं (एफई), पंजीकृत भर्ती एजेंटों (आरए) और भावी उत्प्रवासियों सहित सभी हितधारकों को एक साझा मंच प्रदान करता है और एक व्यापक डाटाबेस बनाने में भी सक्षम बनाता है। उत्प्रवासियों और अन्य हितधारकों को किसी भी प्रश्न/मुद्दे को संबोधित करने में सहायता करने के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन और समर्थन प्रणाली भी उपलब्ध है। फर्जी नौकरी प्रस्तावों और धोखाधड़ी/अवैध भर्ती एजेंसियों पर परामर्श/ अलर्ट भी पोर्टल पर डाल दिए जाते हैं।

सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी), जो ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) द्वारा संचालित हैं, जमीनी स्तर पर सरकार से नागरिक (जी2सी) ई-सेवाओं की डिलीवरी के लिए पहुंच बिंदु के रूप में कार्य करते हैं। ई-माइग्रेट के साथ सीएससी का एकीकरण, सीएससी को विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों से नौकरी इच्छुकों को ई-माइग्रेट पर पंजीकृत करने, ईसीआर देशों में रोजगार हेतु उत्प्रवास मंजूरी (ईसी) के लिए अपना आवेदन जमा करने, उनके ईसी आवेदन को ट्रैक करने, प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई) पॉलिसी खरीदने, शिकायतें दर्ज कराने और उनके निवारण की अनुमति देता है। यह एकीकरण भारतीय कामगारों के लिए बहुभाषी पहुंच और 24X7 हेल्पलाइन की भी सुविधा प्रदान करता है।

डिजी लॉकर ई-माइग्रेट पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। यह पोर्टल ई-माइग्रेट पर उपलब्ध सेवाओं के लिए ऑनलाइन भुगतान के लिए एसबीआई ई-पे और पे-यू गेटवे के साथ भी एकीकृत है।

मंत्रालय प्रवासी जाँच अपेक्षित (ईसीआर) पासपोर्ट धारक भारतीय कामगारों के संबंध में ई-प्रवासी पोर्टल के माध्यम से किसी भी अधिसूचित ईसीआर देशों में रोजगार के लिए आगे बढ़ने के डाटा का रखरखाव करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेश में रोजगार के लिए ई- माइग्रेट पोर्टल के माध्यम से जारी किए गए कुल कामगारों की संख्या नीचे दी गई है:

पिछले तीन वर्षों के दौरान ई-माइग्रेट पोर्टल के माध्यम से जारी किए गए ईसी की संख्या		
2023	**2024**	**2025**
398316	387067	449110
